न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 23/2016/अपील

जगदीशसिंह पुत्र रूघसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारीसिंह
2. गोपालसिंह } पुत्रगण रणजीतसिंह
3. विक्रमसिंह
4. परमेश्वरी देवी पत्नि खाजुलाल, जाति महाजन, निवासी महामन्दिर रोड़, तहसील व जिला सीकर (राज.)
5. सुगनसिंह पुत्र रूघसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)
6. तहसीलदार सीकर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

1. चौ. पोकरमल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ता 4 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 5 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अपील विरूद्ध बंटवारानामा आदेश तहसीलदार सीकर दिनांक 09.02.2010

निर्णय

दिनांकः 03 सितम्बर, 2024

1. अपीलांट **जगदीशसिंह** की ओर से यह अपील वकील **चौ. पोकरमल** द्वारा तहसीलदार, सीकर के आदेश दिनांक 09.02.2010 बाबत बंटवारानामा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–
   (1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 09.02.2010 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरूद्ध पारित किया गया है।
   (2) उक्त बंटवारा आदेश दिनांक 09.02.2010 भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 5.45 हेक्टेयर तन ग्राम खीचड़ों का बास के बाबत पारित किया गया है। जिसके

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

खातेदार प्रार्थी को अपने आवेदन में बताया गया है एवं तथाकथित सहमति बंटवारा बताते हुए खसरा नम्बर 566 में से रकबा 3.51 हेक्टेयर भूमि कुंजीलाल, संतोष कुमार, महेश कुमार, ज्वाला प्रसाद, सरोज देवी, रतनलाल जलधारी, नर्बदा देवी के हक में की गई है एवं रकबा 0.94 हेक्टेयर रेस्पो. गिरधारीसिंह, गोपालसिंह हिस्सा 2/3 व इनके पिता रणजीतसिंह पुत्र रूघसिंह हिस्सा 1/3 किया गया है एवं शेष रकबा 1.00 हेक्टेयर सुगनसिंह, जगदीशसिंह पुत्रगण रूघसिंह को दिया गया है। इस प्रकार जो रकबा 3.51 हेक्टेयर कुंजीलाल आदि को दिया गया है उसके बाबत अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु रकबा 0.94 हेक्टेयर व 1.00 हेक्टेयर जो अपीलांट एवं रेस्पो. के नाम दर्ज कर दिया गया है, उसमें अपीलांट को घोर आपत्ति है।

(3) उक्त बंटवारा आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट पढ़ा लिखा भी नहीं है। रेस्पो. ने अपीलांट को मकान खाली करने की धमकी दी तो अपीलांट ने तहसील कार्यालय जाकर रिकार्ड की जानकारी ली तब पता चला कि रेस्पो. ने इस भूमि का रिकार्ड बंटवारे के आधार पर अपने नाम से दर्ज करा लिया है।

(4) अपीलांट तथा अपीलांट के भाई सुगनसिंह व रणजीतसिंह तीनों भाईयों का मिलाकर 1.94 हेक्टेयर रकबा था, जो बंटवारे के अनुसार 1/3, 1/3, 1/3 यानि प्रत्येक भाई के हिस्से में 0.65 हेक्टेयर भूमि आनी चाहिए। परन्तु रेस्पो. रणजीतसिंह ने अपने एवं पुत्रों गिरधारीसिंह व गोपालसिंह के नाम अधिक रकबा 0.94 हेक्टेयर करा लिया, जबकि अपीलांट व रेस्पो. भाई सुगनसिंह दोनों के नाम रकबा 1.00 हेक्टेयर रख दिया गया।

(5) बंटवारा किसी भी सूरत में हिस्सेदारों के नाम से कम बेसी नहीं हो सकता है। उक्त बंटवारानामा में हिस्सेदारों का रकबा कम बेसी कर दिया गया है।

(6) वर्तमान में जो राजस्व नक्शा बना दिया गया है, उसके खसरा नम्बर 671/566 नक्शे में बनाकर खातेदारी रेस्पो. के नाम बता दी गई है। जबकि इस हिस्सा एवं रकबे पर अपीलांट ने पुख्ता मकान बना रखे हैं, और वर्षों से आबाद है, तथा इसी रकबे पर रेस्पो. सुगनसिंह ने मकान बना रखे है तथा मय परिवार आबाद है।

(7) बंटवारा आदेश के हिस्सेदार कुंजीलाल आदि रकबा 3.51 हेक्टेयर के विरूद्ध कोई विवाद नहीं है, इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(8) रूघसिंह के तीनों पुत्रों को बराबर–बराबर रकबा दिया जाना आवश्यक है, तथा जहां काबिज है, इसके अनुसार ही हिस्सा दिया जाना आवश्यक है। चूंकि रणजीतसिंह फौत हो चुके हैं, इसलिए तीनों पुत्रों को पक्षकार बनाया

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

गया है। पुत्र विक्रमसिंह ने अपना हिस्सा परमेश्वरी महाजन को विक्रय कर दिया इसलिए उसको पक्षकार बनाया गया है।

(9) अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा किया गया बंटवारा आदेश पक्षकारों के हिस्सों तक खारिज फरमाया जावे एवं अपील के निर्णय तक पक्षकारों को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बंटवारानामा आदेश दिनांक 09.02.2010 की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट पढ़ा लिखा भी नहीं है। रेस्पो. ने अपीलांट को मकान खाली करने की धमकी दी तो अपीलांट ने तहसील कार्यालय जाकर रिकार्ड की जानकारी ली तब पता चला कि रेस्पो. ने भूमि का रिकार्ड बंटवारे के आधार पर अपने नाम से दर्ज करा लिया है। अपीलांट के पिता रूघसिंह फौत हो चुके हैं। विवादित भूमि खसरा नम्बर 566 में से रकबा 1.94 हेक्टेयर में अपीलांट जगदीशसिंह तथा अपीलांट के भाई सुगनसिंह व रणजीतसिंह तीनों भाईयों 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है, यानि प्रत्येक भाई के हिस्से में 0.65 हेक्टेयर भूमि आनी चाहिए। परन्तु रेस्पो. रणजीतसिंह ने अपने एवं पुत्रों गिरधारीसिंह व गोपालसिंह के नाम अधिक रकबा 0.94 हेक्टेयर करा लिया, जबकि अपीलांट व रेस्पो. भाई सुगनसिंह दोनों के नाम रकबा 1.00 हेक्टेयर रख दिया गया। अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बंटवारानामा आदेश दिनांक 09.02.2010 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पो. ने कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित बंटवारानामा आदेश दिनांक 09.02.2010 खातेदारों की सहमति के आधार पर किये गये राजीनामा से हुआ है जिसको अपीलांट ने अपने अपील मेमो में स्वीकार भी किया है। उक्त राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। राजीनामा के आधार पर किये गये बंटवारा आदेश दिनांक 09.02.2010 के अनुसार अपीलांट को यदि कोई उज्र आपत्ति थी तो अपीलांट को वाद कारण दिनांक 09.02.2010 को ही प्राप्त हो गया था, परन्तु

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अपीलांट ने लगभग 5 से 6 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो कि मियाद बाहर होने से भी खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के पुत्र द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली पर प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त बंटवारानामा आदेश दिनांक 09.02.2010 खातेदारान की सहमति से हुए राजीनामा के आधार पर भरा गया है। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

(2) अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट पढ़ा लिखा नहीं है। राजीनामा पर अपीलांट के अंगूठा निशानी अंकित है परन्तु उक्त अंगूठा अपीलांट को बहलाकर एवं धोखे में रखकर लगवाया गया है।

(3) चूंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के द्वारा बंटवारा आदेश राजीनामा के आधार पर किया गया है। अपीलांट के किये गये कथनानुसार किये गये राजीनामा प्रलेख के सम्बन्ध में यदि कोई धोखाधड़ी की गई है तो उसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। लिखित राजीनामा प्रलेख के सम्बन्ध में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

(4) बंटवारानामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण सन् 2010 में भरा गया है। अपीलांट द्वारा अपील 2016 में पेश की गई है, जो कि मियाद बाहर है। मियाद के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में अपीलांट असफल रहा हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक **03 सितम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर